प्रकीर्ण वाद संख्या- ४४/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. ४८५/२०१०)
सुरेश कुमार गुप्ता बनाम राम कुमार आदि
१७.०२.२०२१
लंच उपरान्त

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा इस आशय से दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २३.१०.२०१२ को निर्णय पारित किया गया था जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३१/२०१३ चोलामण्डलम् एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम सुरेश कुमार गुप्ता आदि प्रस्तुत की गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक २१.०१.२०२१ को खारिज कर दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित ३१.०१.२०१३ के अनुपालन में न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान करते समय पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को प्रेषित आदेश में याचीगण की एफ.डी.आर.पर रिमार्क लगाया गया था कि एफ.डी.आर. का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय में अपील के निस्तारण पर होगा। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विपक्षी सं.२ की अपील खारिज हो चुकी है अतः प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में एफ.डी.आर. का विवरण देते हुए वर्णित एफ.डी.आर. से उक्त रिमार्क हटा देने व एफ.डी.आर. की समयावधि पूर्ण हो चुकी है अतः उसका भुगतान प्रार्थी को देने हेतु शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को निर्देशित करने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा स्वयं का शपथपत्र व अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई है।

३बी प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३१ वर्ष २०१३ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरण में एफ.डी.आर. बनवाई गयी थी और चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था अतः एफ.डी.आर. पर यह आदेश रिमार्क किया गया था कि एफ.डी.आर. का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निस्तारण में होगा। अब यह एफ.ए.एफ.ओ. निस्तारित हो चुका है। अतः एफ.डी.आर. पर उक्त रिमार्क बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का ३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी सुरेश कुमार गुप्ता की एफ.डी.आर. खाता सं. ३६७१००डीपी०००१५४५४ ₹ ५८,८६४ अवधि ५ वर्ष पर उक्त रिमार्क हटा कर उसकी धनराशि मय ब्याज का भुगतान प्रार्थी सुरेश कुमार गुप्ता को नियमानुसार उसके बैंक खाता सं. २३२५०००१००११३४८२ आई.एफ.सी. कोड़ सं. पीयूएनबी०२३२५०० में आर.टी.जी. एस./नेफ्ट के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ संबंधित बैंक को भेजी जावे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.02.17 09:50:34 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI